


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-अंग्रेजी/पीएससी-15/2017 दिनांक 10.06.2017 द्वारा क्रम संख्या 390, मेरिट नं. 123 पर अंकित श्री शंकर लाल यादव पुत्र श्री रामचन्द्र यादव, स्थाई पता ढाणी ढेलडी, भगतपुरा त0 श्रीमाधोपुर, सीकर को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनोपरान्त व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राउमावि हमीरपुर, टोडारायसिंह, टोंक पदस्थापित किया गया था।


उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर इनका स्थाई पता ढाणी ढेलडी, भगतपुरा त0 श्रीमाधोपुर, सीकर के स्थान पर ढाणी ढेलडी, अणतपुरा त0 श्रीमाधोपुर, सीकर पढा जावें। शेष यथावत रहेगा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-अंग्रेजी/पीएससी-15/2017 दिनांक :- 15-5-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, टोंक
3. प्रधानाचार्य, राउमावि हमीरपुर, टोडारायसिंह, टोंक
4. श्री शंकर लाल यादव, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि हमीरपुर, टोडारायसिंह, टोंक
5. सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु, कार्यालय हाजा
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य/इतिहास के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-1(2) एफ.डी/नियम/2006 दिनांक: 13.03.06 एवं एफ 12 (6) एफ.डी/नियम/05 दिनांक: 13.03.06 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-रु) एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 17 के प्रावधानानुसार वेतन लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है:-

क्र.सं.	मेरिट नम्बर	वर्ग	नाम अभ्यार्थी एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	विषय	कार्यग्रहण की तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि	वर्तमान पदस्थापन (प्राध्यापक-वाणिज्य/इतिहास) (राजमावि)
1	380	GE WE DV	धीरज निर्वाण पुत्री सत्येन्द्र पाल राघव	09.02.72	वाणिज्य	22.03.16	22.03.18	अन्ता, वार्ड 22-बांरा
2	364 ए	SC	छोटु राम पुत्र गोरधन राम	02.03.91	वाणिज्य	27.01.17	27.01.19	हरसौर, डेगाना-नागौर
3	M-138	GE WE	कंचन शेखावत पुत्री विजेन्द्रसिंह यादव	20.10.87	इतिहास	23.06.16	23.06.18	सिरोड़ी-सिरोही
4	64	BC WE	सुनीता राठौर पुत्री बाबुलाल राठौर	15.02.85	वाणिज्य	21.07.15	23.09.17 95 दिन अवैतनिक अवकाश के कारण	बा.सुकेत-कोटा

क्रम सं. 4 पर सुनीता राठौर 95 दिन अवैतनिक अवकाश के कारण स्थाईकरण तिथि नियमानुसार 65 दिन आगे बढ़ाई गई।



(नथमल डिलेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था/सी-2/प्रोटे/वाणिज्य-इतिहास/स्थाईकरण/ 2017

दिनांक: 15/3/19

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, मुख्य शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था/संस्थाप्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग, कार्यालय हाजा
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रायली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर